



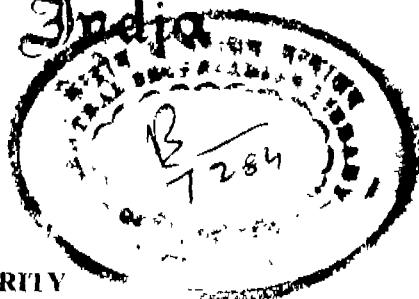
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 212] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 1983/अग्रहायण 29, 1905
No. 212] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 20, 1983 AGRAHAYANA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1983

सार्वजनिक सूचना

ग प्रतिअदायगी/सा. म 35/83.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 23 अगस्त,
1971, में प्रकाशित अधिसूचना म 52/फा म -602/2/71 प्र अ) के नियम 4
के अन्वीक, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना म प्रतिअदायगी/सा म -20/81,
दिनांक 1 जून, 1981 में प्रकाशित सारणी म एतद्वारा निम्नालिखित संशोधन
करती है —

उप-क्रमक 5504 के सामने दी गई टिप्पणी "उक्त दर इस शर्त के अधधीन रहते
हुए देय होगी कि 100 किलो ग्राम ग्रामोफोन रिकार्डों के प्रति निर्यात के लिए
1186 GI/83 (1)

निर्यातकर्ता दानेदार रूप में पी. वी. सी. यौगिक (बिस्कूट सामग्री) के 105 किलो ग्राम के, शिपिंग बिल की तारीख के पूर्ववर्ती तीन महीनों के भीतर सीधे शुल्क-प्रदत्त आयात शुल्क के बारे में सीधे शुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानश्रद्ध रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करें”

के स्थान पर

“उक्त दर इस बात के अधधीन रहते हुए दया होगी कि 100 किलोग्राम ग्रामोफोन रिकार्डों के प्रति निर्यात के सम्बन्ध में निर्यातकर्ता दानेदार रूप में पी. वी. सी. यौगिक (बिस्कूट सामग्री) के 105 कि. ग्राम के आयात पर सीधे शुल्क अदायगी का अथवा दानेदार रूप में 70 कि. ग्राम और पाउडर रूप में 35 कि. ग्राम के आयात पर सीधे शुल्क-अदायगी का साक्ष्य प्रस्तुत करें” पढ़ें ।

यह सार्वजनिक सूचना 11 जनवरी, 1982 से प्रभावी मानी जाएगी ।

[फा. सं. 609/51/83-प्र. अ. (यू. आई)]

ज. गोपीनाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th December, 1983

PUBLIC NOTICE

No. Drawback/PN-83.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary) dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN/20,81, dated the 1st June, 1981 :—

“In note : against Sub-serial No. 5504 for “The above rate is payable subject to the condition that for every export of 100 kgs. of gramophone records the exporter produces evidence to the satisfaction of the Asstt. Collector of Customs of Direct duty paid importation within 3 months preceeding the date of S/B of 105 Kgs. of PVC compound (Biscuit material) in granular form”, read “The above rate is payable subject to the condition that for every export of 100 Kgs. of Gramophone Records the exporter pro-

duces evidence of direct duty paid importation of 105 Kgs. of PVC compound (Biscuit material) in granular form evidence of direct duty paid or importation of 70 Kgs in granular form and 35 Kgs. in powder form".

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 11th January, 1982.

[F. No. 609/51/83-DBK (U. I)]

J. GOPINATH, Under Secy

